प्रकरण क्रमांक ....

श्रीमान् राजस्व मण्डल इन्दौर संभाग इन्दौर

(89)

1. नबीबक्ष पिता बेली नायता पुनर्विलोकन-2683/2018/इंदौर/भू.रा
आयु 64 वर्ष धंधा खेती

2. सिकन्दर पिता बेली नायता
आयु 54 वर्ष धंधा खेती

आवेदक अभिभाषक
श्री मुशफिक खान
द्वारा दिनांक-16-4-18
को इन्दौर कैम्प में प्रस्तुत
16-4-18

3. नूर मोहम्मद पिता बेली नायता
आयु 69 वर्ष धंधा खेती

4. बली मोहम्मद पिता बेली नायता
आयु 60 वर्ष धंधा खेती

5. बाबू पिता बेली नायता
आयु 59 वयस्क वर्ष धंधा खेती

6. रूस्तम पिता बेली नायता
आयु 55 वर्ष धंधा खेती
सभी निवासी कनाडिया रोड खजराना इन्दौर ::– **आवेदकगण**

वि रू द्ध

1. हरियाण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
13 स्वस्तिक नगर एम ओ जी लाईन इन्दौर

2. आयुक्त इन्दौर नगर पानिलक निगम इन्दौर ::– **अनावेदकगण**

mushfique

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत् धारा 51 मध्य प्रदेश
भू–राजस्व संहिता 1959

इस माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 14/3/2018 जिसके द्वारा आवेदकगण की रिवीजन निरस्त की गई से व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 2633/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-18	उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र धारा 32 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष ने आवेदन देकर बताया कि उनके मध्य न्यायालय से बाहर समझौता हो गया है तथा कोई विवाद शेष नहीं रहा है । नवीन सीमांकन भी करा लिया गया है। विचारोपरांत धारा 32 के उक्त आवेदन के आधार पर इस न्यायालय में यह रिव्यु आवेदन निरर्थक हो गया है । अतः यह रिव्यु निरर्थक हो जाने से समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	